



(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र)

फरवरी-अप्रैल, 2023 की कार्यसूची

(खण्ड-05)

दिनांक-15 मार्च, 2023

माँग संख्या - 23

आय-व्ययक शीर्षक - उद्योग विभाग

86. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "उद्योग विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16,48,81,73,000/- (सोलह अरब अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 87-90. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री जनक सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 11

आय-व्ययक शीर्षक - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

91. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 17,87,05,17,000/- (सत्रह अरब सत्तासी करोड़ पाँच लाख सत्रह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 92-94. कुमार शैलेन्द्र, श्री संजय सरावगी एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 30

आय-व्ययक शीर्षक - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

95. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 6,35,89,70,000/- (छः अरब पैंतीस करोड़ नवासी लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 96-98. श्री संजय सरावगी, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 46

आय-व्ययक शीर्षक - पर्यटन विभाग

99. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पर्यटन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 4,17,07,18,000/- (चार अरब सत्रह करोड़ सात लाख अठ्ठारह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 100-101. श्री कुमार शैलेन्द्र एवं श्री संजय सरावगी प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।  
राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

उपर्युक्त खण्ड-5 (दिनांक-15.03.2023) में सम्मिलित अनुदान की माँगों पर प्रस्तुत कटीती प्रस्तावों से संबंधित पूर्व में निर्गत ज्ञापांक-1243, दिनांक-06.03.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


पवन कुमार पाण्डेय  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1441

/वि०स०, पटना, दिनांक- 14/03/23 मार्च, 2023 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
/A.D. Kumar

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1441

/वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



(असीम कुमार)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1441

/वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

